भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2639
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय सतत इस्पात मिशन

2639. **श्री पी. पी. चौधरीः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय सतत इस्पात मिशन किस प्रकार द्वितीयक स्तर इस्पात कम्पनियों को कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और सीओ2 की तीव्रता में अब तक कितनी कमी आई है;
(ख) इन सातों अभियानों से प्राप्त प्रारंभिक परिणामों का ब्यौरा क्या है और हाइड्रोजन-आधारित इस्पात उत्पादन को व्यावसायिक रूप से बढ़ाने की समय-सीमा क्या है;
(ग) इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र के कार्बन-मुक्तिकरण के लिए विश्वसनीय और किफायती हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ किस प्रकार कार्य कर रहा है; और
(घ) भारतीय इस्पात निर्माताओं द्वारा यूरोपीय संघ के सीबीएएम अनुपालन और बढ़ती हुई निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए तैयारी हेतु तकनीकी या प्रक्रिया नवाचारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) इस्पात मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय सतत इस्पात मिशन' शुरू नहीं किया गया है।

(ख) वर्तमान में, इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार पायलट परियोजनाएं 24-45 महीनों की समय सीमा के साथ प्रचालनरत हैं।

(ग) इस्पात मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ मिलकर पायलट परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तरीकों से काम कर रहा है: -

(i) एमएनआरई ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ii) इस्पात मंत्रालय, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, शिक्षा जगत और इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन किया गया है। पीएसी को परियोजनाओं के मूल्यांकन और समय-समय पर उनकी प्रगति पर निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। पीएसी की सिफारिश को अनुमोदन हेतु एमएनआरई के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) सचिव (इस्पात) और सचिव (एमएनआरई) की सह-अध्यक्षता वाली संचालन समिति योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है।

(घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। सरकार निर्यात, आयात, कीमतों आदि सहित समग्र इस्पात परिदृश्य की नियमित रूप से निगरानी करती है।

******